



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09022026-269959
CG-DL-E-09022026-269959

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 484]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 4, 2026/माघ 15, 1947

No. 484]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 4, 2026/MAGHA 15, 1947

मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन एवं डेयरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2026

का.आ. 513(अ).— राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम, 1987 (1987 का 37) की धारा 9 के साथ पठित धारा 8 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा श्री एस. रेगूपति, कार्यकारी निदेशक (संचालन), एनडीडीबी को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सर्वोच्च श्रेणी के अधिकारियों में से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बोर्ड में एनडीडीबी में उनकी सेवाओं की अवधि के साथ समाप्त होने तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नामित करती है।

[फा. सं. एम-03017/1/2022-एडमिन-4]

संजय कुमार, अवर सचिव

नोट:- मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र में एस.ओ.210(ई) दिनांक 4 मार्च, 1994 द्वारा प्रकाशित की गई थी और बाद में का. आ. सं. 132 (अ) दिनांक 11.3.95, का. आ. सं. 532 (अ) दिनांक 6.6.95, का. आ. सं. 166(अ) दिनांक 3.3.96, का. आ. सं. 386(अ) दिनांक 3.6.96, का. आ. सं. 605(अ) दिनांक 2.9.96, का. आ. सं. 678(अ) दिनांक 1.8.96, का. आ. सं. 750(अ) दिनांक 13.10.97, का. आ. सं. 836(अ) दिनांक 18.12.97 का. आ. सं. 738(अ) दिनांक 28.8.98, का. आ. सं. 1000(अ) दिनांक 26.11.98, का. आ. सं. 156(अ) दिनांक 10.3.99, का.आ. सं. 755(अ) दिनांक 18.8.2000, का. आ. सं. 351(अ) दिनांक 25.4.2001, का. आ. सं. 656(अ) दिनांक 21.6.2002, का. आ. सं. 1077(अ) दिनांक 16.9.2003, का. आ. सं. 212(अ) दिनांक 16.2.2005, का. आ. सं. 826(अ) दिनांक 29.5.2006, का. आ. सं. 461(अ)

दिनांक 29.3.2007, का. आ. सं. 1738(अ) दिनांक 10/11.1; 2007, का.आ. सं. 1503(अ) दिनांक 17.6.2008, का. आ. सं. 2658(अ) दिनांक 10.11.2008, का. आ. सं. 1274(अ) दिनांक 19.5.2009, का. आ. सं. . 2575 (अ) दिनांक 9.10.2009, का. आ. सं. 1233(अ) दिनांक 26.5.2010, का. आ. सं. .168(अ) दिनांक 24.1.2011, का. आ. सं. 1779(अ) दिनांक 27.7.2011, का. आ. सं. . 97(अ) दिनांक 14.12.2011, का. आ. सं. 98(अ) दिनांक 22.12.2011, का. आ. सं. 241(अ) दिनांक 8.2.2012, का. आ. सं. 992(अ) दिनांक 27.4.2012, का. आ. सं. 1141(अ) दिनांक 26.4.2013, का. आ. सं. 1697(अ) दिनांक 13.6.2013, का. आ. सं. 1341(अ) दिनांक 15.4.2014, का. आ. सं. 1451(अ) दिनांक 3.6.2014, का. आ. सं. 3076(अ) दिनांक 3.12.2014, का. आ. सं. 721(अ) दिनांक 05.3.2015, का. आ. सं. 722(अ) दिनांक 05.3.2015, का.आ. सं. 3132(अ) दिनांक 9.10.2015, का.आ. सं. 1076(अ) दिनांक 12.3.2016, का.आ.सं. 1674(अ) दिनांक 03.05.2016, का.आ.सं. 684(अ) दिनांक 28.02.2017 का.आ.सं.1869(अ) दिनांक 09.06.2017, का. आ. सं. 3774(अ), दिनांक 27.11.2017, का. आ. सं. 1393(अ), दिनांक 27.03.2018, का.आ. सं. 5344(अ), दिनांक 12.10.2018, का. आ. सं. 1043(अ), दिनांक 22.02.2019, का.आ. 1860(अ), दिनांक 27 मई, 2019, का. आ. 2099(अ), दिनांक 19] जून, 2019, का.आ. 4352(अ), दिनांक 04 दिसंबर, 2019, का. आ. 1451(अ), दिनांक 08 मई, 2020 और का. आ. 1165(अ), दिनांक 10 मार्च, 2021, का.आ.2673 (अ), दिनांक 02 जुलाई, 2021, का.आ. 3258 (अ) दिनांक 11 अगस्त, 2021, का. आ.5477(अ), दिनांक 30 दिसम्बर, 2021, का. आ. 2650(अ), दिनांक 9 जून, 2022, का. आ. 957(अ), दिनांक 28 फरवरी, 2023, का. आ. 4987(अ), दिनांक 17, नवंबर, 2023 तथा का. आ. 2705(अ), दिनांक 11 जुलाई, 2024 के द्वारा संशोधित की गई।

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department of Animal Husbandry & Dairying)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th January, 2026

S.O. 513(E).— In exercise of powers conferred by Sub-Section (2) of Section 8 read with Section 9 of the National Dairy Development Board Act, 1987 (37 of 1987), the Central Government hereby nominates **Shri S. Regupati**, Executive Director (Operations), NDDDB as a whole-time Director on the board of National Dairy Development Board from amongst the executives of the highest grade of National Dairy Development Board (NDDDB) for a period co-terminus with his services in NDDDB **OR** till further orders whichever is earlier.

[F. No. M-03017/1/2022-Admin-4]

SANJAY KUMAR, Under Secy.

Note:- The principal notification was published in the Gazette of India, vide S.O. No.210(E) dated 4-3-1994 and subsequently amended vide S.O.1-32(E) dated 11-3-1995, S.O.532(E) dated 6-6-1995, S.O.166(E) dated 3-3-1996, S.O.386(E) dated 3-6-1996, S.O.605(E) dated 2-9-1996, S.O.678(E) dated 1-8-1996, S.O.750(E) dated 13-10-1997, S.O.836(E) dated 18-12-1997, S.O.738(E) dated 28-8-1998, S.O.1000(E) dated 26-11-1998, S.O.156(E) dated 10-3-1999, S.O. 755(E) dated 18-8-2000, S.O.351(E) dated 25-4-2001, S.O. 656(E) dated 21-6-2002, S.O.1077(E) dated 16-9-2003, S.O. 212(E) dated 16-2-2005, S.O. 826(E) dated 29-5-2006, S.O. 461(E) dated 29-3-2007, S.O. 1738(E) dated 10/11-10-2007, S.O. 1503(E) dated 17-6-2008, S.O. 2658(E) dated 10-11-2008, S.O. 1274(E) dated 19-5-2009, S.O. 2575(E) dated 9-10-2009, S.O. 1233(E) dated 26-5-2010, S.O. 168(E) dated 24-1-2011, S.O. 1779(E) dated 27-7-2011, S.O. 97(E) dated 14.12.2011, S.O. 98(E) dated 22.12.2011, S.O. 241(E) dated 8-2-2012, S.O. 992(E) dated 27-4-2012, S.O. 1141(E) dated 26-4-2013 and S.O. 1697(E) dated 13-6-2013, S.O.1341(E) dated 15-4-2014, S.O. 1451(E) dated 3-6-2014, S.O. No. 3076(E) dated 3-12-2014, S.O. 721(E) dated 5-3-2015, S.O.No.722(E) dated 5-3-2015, S.O. No.3132(E) dated 9-10- 2015, S.O. No. 1076 (E)) dated 12-03-2016, S.O. No. 1674 (E) dated 03-05-2016, S.O. No. 684(E) dated 28.02.2017, S.O. No.1869(E) dated 09.06.2017, S.O.No.3774(E) dated 27.11.2017, S.O. No. 1393(E) dated 27.3.2018, S.O.No.5344(E) dated 12.10.2018, S.O.No. 1043(E) dated 22.02.2019, S.O.No.1860(E) dated 27.05.2019, S.O.No.2099(E) dated 19.06.2019, S.O. No.4352(E) dated 04.12.2019 and S.O.No.1451(E) dated 8.5.2020, S.O. No. 1165(E) dated 10.03.2021, S.O. No. 2673(E) dated 02.07.2021, S.O.No.3258(E) dated 11.08.2021, S.O.No. 5477(E) dated 30.12.2021, S.O. No. 2650(E) dated 09.06.2022, S.O. No. 957(E) dated 28.02.2023, S.O. No. 4987(E) dated 17.11.2023 and S.O. No. 2705(E) dated 11.07.2024.